


30-10-19

फटावली पेश हुई। बार-बार आवाज
दिलवाई गई परन्तु वादी की लरफ़ों से
वास्तव पैरवी की गई उपास्केत नहीं है
एवं साक्ष्य भी उपास्केत नहीं है। वकील
प्रतिवादी उपवृत्त। न्यायालय का सम्पूर्ण
समाप्त होने को है अतः वादीगणों का
वाद अड़म दाननी एवं अड़म पैरवी में
स्वास्ति किया गया। फटावली कैसल
शुमार होकर दर्ज नम्बर से काम हो।
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया
गया।


उप खण्ड अधिकारी
सौम्य लेक

